

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय

00

क्रमांक एफ-6/16/2007/58,

भोपाल, दिनांक 15/06/2016

प्रति-

आशुवता सह संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र ज्ञानिकी
विद्यालय भवन, भोपाल।

विषय:- कृषक प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण कार्यक्रम योजना।

सन्दर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.10.2015

00

सन्दर्भित पत्र द्वारा कृषक प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण कार्यक्रम योजना के मापदर्शी निर्देश जारी किये गये थे। जारी मार्गदर्शी निर्देश के प्रपत्र "ब" "कृषक भ्रमण एवं वित्तीय प्रावधान" में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार वित्तीय मापदण्ड विधायित्व किया जाते हैं :-

क्रमांक	नाम घटक	योजना के संशोधित वित्तीय मापदण्ड
1	राज्य के अन्दर कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण	रुपये 1000/- प्रति कृषक प्रति दिवस (अधिकतम 7 दिवस)
2	राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण	रुपये 1500/- प्रति कृषक प्रति दिवस
3	राज्य के बाहर प्रभावना (Exposure) दौरा नवीन तकनीक अपलोकन हेतु (नवीन घटक)	रुपये 1500/- प्रति कृषक प्रति दिवस

उपरोक्त वित्तीय मापदण्ड वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लागू होंगे।

15-6-16
(अनुप कुमार गुप्ता)
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

क्रमांक 836
दिनांक 15-6-16
सं. 16/16/2007/58

110

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-6-16/2007/58,

भोपाल, दिनांक 08/10/2017

प्रति,

आयुक्त सह संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
विद्याचल भवन, भोपाल

विषय:- कृषक प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण कार्यक्रम योजना

सन्दर्भ:- विभाग का पत्र क्रमांक 6251/एफ-6-16/2007/58 दिनांक 20.10.2015

उपरोक्त विषय में सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी कृषक प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण कार्यक्रम योजना के मार्गदर्शी निर्देश के पृष्ठ 3 के खण्ड 'अ' कृषक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

पत्र दिनांक 20.10.15 अनुसार वित्तीय प्रावधान	संशोधित वित्तीय प्रावधान
दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण में 30 प्रशिक्षणार्थियों हेतु कुल रूपये 24,000/- अर्थात् अधिकतम व्यय रूपये 800/- प्रति कृषक	एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण में 20 प्रशिक्षणार्थियों हेतु कुल रूपये 12,000/- अर्थात् प्रति कृषक अधिकतम व्यय रूपये 500/- तथा मेजवान (Host) कृषक को मानदेय रूपये 100/- इस प्रकार कुल अधिकतम व्यय रूपये 600/- प्रति कृषक

2/ उपरोक्त संशोधित वित्तीय प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017-18 से लागू होंगे।

(अनुप कुमार मुण्डा)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

0/6